

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-IV अनुभाग

पद का नाम	श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में श्रम अधिकारी के पद की एक (01) रिक्ति
विज्ञापन सं.	03/2023
रिक्ति सं.	23020310411

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक 04.12.2023 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
- उम्मीदवारों को दिनांक 14.12.2023 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।
- 06 आवेदकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन सभी की जांच की गई है। सभी की अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है। परन्तु, कुछ उम्मीदवारों की अस्वीकृत श्रेणी को बदला गया है।
- तदनुसार, आवेदनों की संशोधित जांच इस प्रकार है:-

लघु सूचीबद्ध करने अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	-
हेतु	ईडब्ल्यूएस	-
गए	अ.पि.व	अ.यो-क(i) (ii)+ अ.यो-ख
	अ.जा.	-
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	शून्य*

* यह प्रकरण स्क्रूटनी चरण में निष्फल हो गई है।

: अस्वीकृत :

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-सूचीबद्ध नहीं किया गया है।	श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया	अनुक्रमांक
	एलईक्यू-क(ii)	06, 11, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 39, 44, 51, 57, 58, 61, 72 एवं 77. (16 उम्मीदवार)
	एलईक्यू-ख	15, 46, एवं 64. (03 उम्मीदवार)
:अपूर्ण:		
विचारार्थ क्षेत्र में नहीं हैं।		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण-पत्र नहीं होने के कारण शेष 60 उम्मीदवारों को विचारार्थ क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।


अभियान
02/02/2024

अपनाए गए मानदंड	<p>(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार तथा इसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुरूप कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यथा उल्लिखित संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है।</p> <p>(iii) जिन उम्मीदवारों का अनुभव भर्ती नियमावली के अनुसार संगत क्षेत्र में नहीं है उन्हें एलईक्यू-बी श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(iv) बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देने वाले किसी भी संगठन में श्रम कल्याण कार्य, औद्योगिक संबंध या कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में किसी जिम्मेदार पद पर कार्य करने संबंधी तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(v) अ.पि.वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण केवल उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अ.पि.वर्ग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। जो उम्मीदवार अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किया गया अ.पि.वर्ग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे उन्हें इस पद हेतु पात्र नहीं माना गया है।</p> <p>(vi) इस भर्ती मामले में वांछनीय योग्यता लागू नहीं की गई है।</p> <p>(vii) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्म में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्म में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है।</p> <p>(viii) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्रों अथवा स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को भी संगत अनुभव में कमी की श्रेणी में विचार किया गया है परन्तु उनके आवेदन को 'अपूर्ण'या 'एलईक्यू-ख' श्रेणी के अंतर्गत विवेकानुसार अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>नोट:- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर कियाजाता है।</p>
----------------------------	---

संकेतक:

एलईक्यू-क(ii) -अनिवार्य योग्यता-क(ii) में कमी

एलईक्यू-ख - अनिवार्य योग्यता-ख में कमी


(ए.एन.मिश्रा)

उप सचिव (भ. IV)

फोन नंबर: 011-23383766

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।